

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

दिसम्बर 2014, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

दिनांक 09 दिसम्बर 2014

| आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/ सदस्य का नाम | आश्वासन का संक्षिप्त विषय | आश्वासन का रूप | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | आश्वासन की पूर्ति की तिथि |
|-----------------|---|--|---|-----------------------------|---------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1011 | ता.प्र.सं.03 (क्र.441) दि.09.12.2014 (श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक) | छतरपुर जिले के नौगांव में इंजीनियरिंग महाविद्यालय हेतु भवन निर्माण हेतु प्राक्कलन को स्वीकृति दिलाई जाकर शीघ्र भवन का निर्माण कराया जाना । | में माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि बहुत जल्द ही काम शुरू हो जायेगा । | | |
| 1012 | ता.प्र.सं.15 (क्र.1164) दि.09.12.2014 (श्री जयवर्द्धन सिंह) | राघौगढ़ नगर के स्थित शासकीय तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास संस्थान में रिक्त पदों की पूर्ति एवं संस्थान के भवन पर निर्माण कराया जाना। | (1) पद भरने की कार्यवाही हम कर रहे हैं। (2) भवन के बारे में आपको आश्वस्त करता हूं कि वह काम भी हम जल्दी करेंगे । | | |
| 1013 | अता.प्र.सं.79 (क्र.947) दि.09.12.2014 (श्रीमती ऊषा चौधरी) | मुरैना स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के अधीक्षक द्वारा वित्तीय अनियमितताएं किये जाने की शीघ्र जांच करायी जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जाना। | कलेक्टर से जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रकरण में नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जायेगी । | | |

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
दिसम्बर 2014, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

उच्च शिक्षा विभाग

दिनांक 09 दिसम्बर 2014

| आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/ सदस्य का नाम | आश्वासन का संक्षिप्त विषय | आश्वासन का रूप | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | आश्वासन की पूर्ति की तिथि |
|-----------------|---|--|---|-----------------------------|---------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1014 | ता.प्र.सं.07 (क्र.861) दि.09.12.2014 (श्री सुरेन्द्र सिंह बन्ना) | मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय में पदस्थ निर्देशक केमिकल साइन्स द्वारा आर्थिक अनियमितता एवं गवन की जांच शीघ्र पूर्ण करायी जाना। | प्रमुख सचिव माननीय कुलाधिपति को पत्र प्रेषित कर दिया है और उनसे जांच का अनुरोध किया है। | | |
| 1015 | ता.प्र.सं.08 (क्र.250) दि.09.12.2014 (श्री सोहनलाल वाल्मीक) | छिंदवाड़ा जिले के परासिया स्थित शासकीय पंचवेली महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा जनभागीदारी समिति की बैठक में स्थानीय जन प्रतिनिधियों को आमंत्रित न किये जाने पर प्राचार्य के विरुद्ध कार्यवाही की जाना। | आमंत्रित न करने के संबंध में जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी तथा की गई कार्यवाही की लिखित जानकारी आपको कल दे देंगे। | | |
| 1016 | ता.प्र.सं.11 (क्र.1134) दि.09.12.2014 (श्री शैलेन्द्र पटेल) | सीहोर जिले के इछावर नगर में स्थित शासकीय महाविद्यालय में विज्ञान संकाय आरंभ किया जाना। | <u>मा.अध्यक्ष महोदय के निर्देश - परीक्षण करवा लें आप।</u> जी हां। | | |
| 1017 | ता.प्र.सं.12 (क्र.1214) दि.09.12.2014 (श्री सज्जन सिंह उईके) | बैतूल जिले के शॉहपुर नगर में स्थित महाविद्यालय में वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय आरंभ किया जाना। | परीक्षण के बाद निर्धारित मापदण्ड में आने पर खोला जायेगा। | | |

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
दिसम्बर 2014, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

उच्च शिक्षा विभाग

दिनांक 09 दिसम्बर 2014

| आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/ सदस्य का नाम | आश्वासन का संक्षिप्त विषय | आश्वासन का रूप | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | आश्वासन की पूर्ति की तिथि |
|-----------------|---|--|--|-----------------------------|---------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1018 | परि.ता.प्र.सं.03 (क्र.30) दि.09.12.2014 (श्री कमलेश्वर पटेल) | सीधी जिले के सिहावल विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत देवसर स्थित महाविद्यालय में पदस्थ स्टॉफ के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच कराई जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जाना। | जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर यथोचित कार्यवाही की जावेगी। | | |
| 1019 | परि.ता.प्र.सं.70 (क्र.838) दि.09.12.2014 (श्री बाला बच्चन) | प्रदेश के विश्वविद्यालयों में उपकुल सचिव से सचिव पद पर हुई अवैधानिक पदोन्नतियों की नियमानुसार जांच करायी जाकर दोषियों के विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही कराया जाना। | परीक्षण उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी । | | |
| 1020 | अता.प्र.सं.31 (क्र.359) दि.09.12.2014 (श्री महेन्द्र हार्डिया) | (1) प्रदेश में बढ़ रहे साइबर अपराधों के नियंत्रण हेतु महाविद्यालयों में साइबर लॉ का प्रशिक्षण दिया जाना। (2) प्रदेश के महाविद्यालयों में साइबर लॉ को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना। | (1) परीक्षण किया जायेगा । (2) अलग से पाठ्यक्रम के संबंध में अध्ययन मंडल में विचार किया जायेगा । | | |

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
दिसम्बर 2014, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

सामान्य प्रशासन विभाग

दिनांक 09 दिसम्बर 2014

| आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/ सदस्य का नाम | आश्वासन का संक्षिप्त विषय | आश्वासन का रूप | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | आश्वासन की पूर्ति की तिथि |
|-----------------|--|--|---|-----------------------------|---------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1021 | परि.ता.प्र.सं.17 (क्र.207) दि.09.12.2014 (श्री गिरीश गौतम) | आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, रीवा में दिनांक 06.12.12 को दर्ज अपराध क्रमांक-81/12 के आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण की शीघ्र विवेचना की जाकर विधि सम्मत कार्यवाही किया जाना। | प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने पर जांच में एकत्रित साक्ष्य के आधार पर विधि सम्मत निराकरण किया जायेगा। | | |
| 1022 | अता.प्र.सं.89 (क्र.1057) दि.09.12.2014 (चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी) | म.प्र. स्टेट फार्मसी कौंसिल में पंजीबद्ध अवैध फार्मासिस्टों के प्रकरणों की शीघ्र जांच करायी जाकर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना। | अन्य अवैध फार्मासिस्टों की जांच विवेचना में है। | | |
| 1023 | अता.प्र.सं.96 (क्र.1107) दि.09.12.2014 (श्री उमंग सिंघार) | धार जिले में सांसदों/विधायकों के पत्रों का समयसीमा में उत्तर न देकर अनियमितता के दोषी अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार शीघ्र कार्यवाही किया जाना। | अनियमितता के लिए जिला विपणन अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जा रही है। | | |

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
दिसम्बर 2014, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

वाणिज्यिक कर विभाग

दिनांक 09 दिसम्बर 2014

| आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/ सदस्य का नाम | आश्वासन का संक्षिप्त विषय | आश्वासन का रूप | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | आश्वासन की पूर्ति की तिथि |
|-----------------|--|---|---|-----------------------------|---------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1024 | ता.प्र.सं.04 (क्र.469) दि.09.12.2014 (श्रीमती नीना वर्मा) | (1) धार जिले के थाना पीथमपुर में दिनांक 12.09.2014 को अवैध शराब परिवहन के दर्ज प्रकरण की जांच कराई जाना । (2) वर्तमान में पदस्थ आबकारी विभाग के अधिकारियों को हटाकर भोपाल से किसी वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में जांच कराई जाना । | (1) तथ्यों के प्रकाश में आने पर तदनुसार उचित कार्यवाही की जायेगी, जो तथ्य सामने आयेंगे उनको पूरा चालान के साथ पेश किया जायेगा । (2) <u>माननीय अध्यक्ष के निर्देश:-</u> जिस स्तर के अधिकारी से आप कहेंगी उससे वह जांच करा देंगे । | | |
| 1025 | ता.प्र.सं.19 (क्र.147) दि.09.12.2014 (श्री अंचल सोनकर) | (1) जबलपुर नगर में पार्किंग विहीन एवं निर्धारित मापदण्ड के विरुद्ध संचालित शॉप बार (आहाता) की जांच कराई जाना। (2) धार्मिक स्थलों के समीप नियम विरुद्ध मदिरा दुकानों के संचालन की जांच करायी जाना। | (1) इसकी जांच करवा लेंगे । माननीय सदस्य नाम बता दें कि कहां-कहां एक तल से अधिक पर चल रहा है, मैं उसकी भी आपके साथ जांच करा लूंगा । (2) उनका परीक्षण करा लेंगे । | | |
| 1026 | परि.ता.प्र.सं.38 (क्र.471) दि.09.12.2014 (श्रीमती नीना वर्मा) | झाबुआ जिले में माह अक्टूबर, 2014 में अवैध शराब परिवहन के फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की जाकर दोषियों के विरुद्ध शीघ्र नियमानुसार कार्यवाही करायी जाना। | फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है तथा प्रकरण में अनुसंधान जारी है । | | |

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
दिसम्बर 2014, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

ऊर्जा विभाग

दिनांक 09 दिसम्बर 2014

| आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/ सदस्य का नाम | आश्वासन का संक्षिप्त विषय | आश्वासन का रूप | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | आश्वासन की पूर्ति की तिथि |
|-----------------|--|---|---|-----------------------------|---------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1027 | ता.प्र.सं.05 (क्र.169) दि.09.12.2014 (श्री कुंवरजी कोठार) | राजगढ़ जिले के सारंगपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत जले एवं खराब ट्रांसफार्मरों को शीघ्र बदला जाना । | एप्रोच रोड सही है तो एप्रोच रोड के कारण बदलने की बात कही गई है तो उसको हम दिखवा लेंगे । | | |
| 1028 | ता.प्र.सं.06 (क्र.945) दि.09.12.2014 (श्रीमती ऊषा चौधरी) | सतना जिले के रैगांव विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत खराब एवं जले हुये ट्रांसफार्मर बदले जाने में लापरवाही करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना। | यदि कोई ऐसा गांव है, जिसमें पैसा जमा है और ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया है। हम उसकी जांच कराएंगे, उसमें किसी ने लापरवाही की है तो कार्यवाही करेंगे । आज शाम तक उसकी जांच करा लेंगे। | | |
| 1029 | ता.प्र.सं.13 (क्र.628) दि.09.12.2014 (श्री मुरलीधर पाटीदार) | शाजापुर जिले के सुसनेर विधान सभा क्षेत्र में सोलर ऊर्जा कंपनियों द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुये आबादी क्षेत्र से 33 के.व्ही. लाईन निकाले जाने की जांच की जाना । | माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है उसकी हम जांच करा लेंगे और घनी आबादी में किसी को परेशानी न हो इसकी चिंता करेंगे । | | |
| 1030 | ता.प्र.सं.16 (क्र.580) दि.09.12.2014 (श्रीमती पारूल साहू केशरी) | सागर जिले के राहतगढ़ विकासखण्ड के शहरी एवं ग्रामीण विद्युत केन्द्रों में व्याप्त अनियमितताओं की जांच कराई जाकर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना। | फिर भी आपके जो बिन्दु है, उसका फिर से एक बार हम परीक्षण कराएंगे और यदि उठाए गए बिन्दु पर कहीं कोई लापरवाही सिद्ध हो जाती है तो कार्यवाही करने में कोई संकोच नहीं होगा । | | |

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

दिसम्बर 2014, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

ऊर्जा विभाग

दिनांक 09 दिसम्बर 2014

| आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/ सदस्य का नाम | आश्वासन का संक्षिप्त विषय | आश्वासन का रूप | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | आश्वासन की पूर्ति की तिथि |
|-----------------|---|---|---|-----------------------------|---------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1031 | ता.प्र.सं.17 (क्र.1168) दि.09.12.2014 (श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल) | (1) कुक्षी विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत विद्युत सब-स्टेशनों का निर्माण कार्य शीघ्र आरंभ कराया जाना । (2) कुक्षी विधान सभा क्षेत्र में अपूर्ण निर्माण कार्यों का भोपल से किसी अधिकारी को भेजकर भौतिक सत्यापन कराये जाने तथा शीघ्र निर्माण कार्य पूर्ण कराकर विद्युत प्रभाव सुचारु किया जाना। | (1) कार्य तो तुरन्त शुरू हो जाएगा, परन्तु इसको पूरा करने की भी कोशिश करेंगे कि वह अप्रैल 2015 तक पूरा हो जाए । (2) ठीक है । | | |
| 1032 | परि.ता.प्र.सं.108 (क्र.1219) दि.09.12.2014 (श्री मेहरबान सिंह रावत) | मुरैना जिले की सबलगढ तहसील के ग्राम मांगरौल में स्वीकृत मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में कराया जाना। | दिनांक 24.12.2014 तक कार्य पूर्ण होना अपेक्षित है । | | |
| 1033 | अता.प्र.सं.08 (क्र.72) दि.09.12.2014 (श्री राम सिंह यादव) | (1) प्रदेश की विद्युत कंपनियों में अनुकंपा नियुक्ति संबंधी प्रचलित नियमों में राज्य शासन की अनुकंपा नियुक्ति नीति के अनुरूप शीघ्र संशोधन कराया जाना। (2) शिवपुरी जिले में विद्युत कंपनियों के कर्मचारियों के आश्रितों को शीघ्र अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किया जाना। | (1) राज्य शासन के आदेश के परिपालन में विद्युत कंपनियों द्वारा वर्तमान में लागू अनुकंपा नियुक्ति नीति, 2013 में यथास्थान संशोधन किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । तदुपरांत कंपनी स्तर पर आदेश जारी किये जाने की कार्यवाही की जाएगी । (2) नवीन संशोधन सहित आदेश जारी होने के पश्चात् अनुकंपा नीति के प्रावधान अनुसार नियुक्ति की कार्यवाही की जावेगी। | | |

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

दिसम्बर 2014, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

ऊर्जा विभाग

दिनांक 09 दिसम्बर 2014

| आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/ सदस्य का नाम | आश्वासन का संक्षिप्त विषय | आश्वासन का रूप | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | आश्वासन की पूर्ति की तिथि |
|-----------------|---|---|--|-----------------------------|---------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1034 | अता.प्र.सं.23 (क्र.259) दि.09.12.2014 (श्री सोहनलाल बाल्मीक) | छिंदवाड़ा जिले के परासिया विधान सभा क्षेत्र में विद्युतीकरण से वंचित शेष ग्रामों को विद्युतीकृत किया जाना। | औपचारिकता पूर्ण होने पर विद्युतीकरण का कार्य प्रारंभ किया जावेगा। | | |
| 1035 | अता.प्र.सं.69 (क्र.886) दि.09.12.2014 (श्री हरदीप सिंह डंग) | सुवासरा विधान सभा क्षेत्र के कयामपुर वितरण केन्द्र पर कृषकों के सिचाई विद्युत कनेक्शनों के भार में वृद्धि कर विद्युत बिलो की वसूली के प्रकरणों की जांच करावाई जाना। | उपभोक्ताओं के परिसर का भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा एवं तत्संबंधी जांच रिपोर्ट माह मार्च 2015 तक तैयार करवा ली जायेगी। | | |

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
दिसम्बर 2014, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

पर्यटन विभाग

दिनांक 09 दिसम्बर 2014

| आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/ सदस्य का नाम | आश्वासन का संक्षिप्त विषय | आश्वासन का रूप | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | आश्वासन की पूर्ति की तिथि |
|-----------------|---|--|--|-----------------------------|---------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1036 | ता.प्र.सं.21 (क्र.905) दि.09.12.2014 (श्रीमती झूमा सोलंकी) | खरगोन जिले में अपरवेदा डेम को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाना। | पर्यटन विभाग को प्रस्ताव परीक्षण हेतु भेजा जायेगा। | | |

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
दिसम्बर 2014, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

वन विभाग

दिनांक 09 दिसम्बर 2014

| आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/ सदस्य का नाम | आश्वासन का संक्षिप्त विषय | आश्वासन का रूप | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | आश्वासन की पूर्ति की तिथि |
|-----------------|---|--|--|-----------------------------|---------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1037 | ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक-66 (श्री प्रताप सिंह) | दमोह जिले के तेन्दूखेड़ा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत वन भूमि पर वन अधिकार दावे की पात्रता संबंधी प्रकरणों के निराकरण में विभागीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच करायी जाकर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना है। | वन अधिकार अधिनियम के अनुसार उनको वन अधिकार की पात्रता है अथवा नहीं है उसकी पुनः जांच करने के लिये कहा गया था इसलिये उसको दी गई थी। | | |

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

दिसम्बर 2014, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग

दिनांक 09 दिसम्बर 2014

| आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/ सदस्य का नाम | आश्वासन का संक्षिप्त विषय | आश्वासन का रूप | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | आश्वासन की पूर्ति की तिथि |
|-----------------|---|--|---|-----------------------------|---------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1038 | ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक-19 (डॉ. गोविन्द सिंह) | रायसेन जिले के औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप स्थित स्पेशिएलिटी प्रा. लि. केमिकल उद्योग से क्लोरिन गैस के रिसाव से प्रभावित मजदूरों/ व्यक्तियों का समुचित इलाज कराया जाना तथा सुरक्षामानकों में हुई चूक की जांच एवं प्रभावित श्रमिकों की क्षतिपूर्ति के संबंध में नियमानुसार त्वरित कार्यवाही की जाना। | हम उनका निःशुल्क इलाज करायेंगे और मैं आश्वस्त कराना चाहती हूँ कि हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं हटेगें, परन्तु यह मामला पाल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो हमारे अंडर में नहीं आता है और श्रम विभाग का भी है और इसी लिये हम दोनों को बिठाकर इन सब चीजों को गंभीरता से देखेंगे। | | |

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
दिसम्बर 2014, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

खनिज साधन विभाग

दिनांक 09 दिसम्बर 2014

| आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/ सदस्य का नाम | आश्वासन का संक्षिप्त विषय | आश्वासन का रूप | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | आश्वासन की पूर्ति की तिथि |
|-----------------|---|---|---|-----------------------------|---------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1039 | परि.ता.प्र.सं.12 (क्र.152) दि.09.12.2014 (श्री अंचल सोनकर) | जबलपुर जिले में वित्तीय वर्ष-2013-14 एवं 2014-15 में रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण के प्रकरणों की शीघ्र जांच करायी जाकर दोषियों के विरुद्ध निमयानुसार कार्यवाही की जाना। | वर्तमान में इस विषय में प्रकरण न्यायालय कलेक्टर, जबलपुर में प्रक्रियाधीन है एवं प्रकरण के निराकरण उपरांत गुण दोषों के आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी । | | |